भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. \*11**

30.11.2015 को उत्तर के लिए

**दिल्‍ली में वायु प्रदूषण का स्‍तर**

**\*11. श्री विशम्‍भर प्रसाद निषाद:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या इस माह, अर्थात नवम्‍बर, 2015 के मध्‍य में दिल्‍ली में वायु प्रदूषण का स्‍तर निर्धारित मानकों से अधिक रहा;

(ख) एन सी आर में प्रतिदिन वाहनों से कितना प्रदूषण होता है और क्‍या निर्धारित स्‍तर से अधिक होने पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है;

(ग) क्‍या पंजाब और हरियाणा सहित दिल्‍ली के निकटवर्ती राज्‍यों में ठूंठ (पराली) और अन्‍य अपशिष्‍ट को जलाने के कारण इस माह दिल्‍ली में प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है और यह सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (घ) विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

'दिल्‍ली में वायु प्रदूषण के स्‍तर' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री विशम्‍भर प्रसाद निषाद द्वारा पूछे गए दिनांक 30.11.2015 को उत्तर के लिए निर्धारित राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न सं. 11 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

**(क) दिल्‍ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा उपलब्‍ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, 10 से 20 नवम्‍बर, 2015 के दौरान आठ प्रदूषकों के स्‍तरों का संक्षिप्‍त विवरण निम्‍नलिखित है:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पैरामीटर | मॉनीटर किए गए मान | मानक  (औसत आधार) |
| 1. | एसओ2 (µg / m3) | 7.56 - 66.99 | 80 (24 घंटे) |
| 2 | सीओ (mg / m3) | 1.19 – 6.13 | 2 (8 घंटे) |
| 3 | एनएच3 (µg / m3) | 6.74 – 127.59 | 400 (24 घंटे) |
| 4 | एनओ2 (µg / m3) | 6.47 -160.76 | 80 (24 घंटे) |
| 5 | ओजोन Ozone (µg / m3) | 20.67 - 166.33 | 100 (8 घंटे) |
| 6. | बेंजीन (µg / m3) | 0.91 – 20.16 | 5 (वार्षिक) |
| 7 | पीएम2.5 (µg / m3) | 85.84 - 446.78 | 60 (24 घंटे) |
| 8 | पीएम10 (µg / m3) | 144.37 - 994.79 | 100 (24 घंटे) |

विभिन्‍न प्रदूषकों के स्‍तर स्‍थल-विशिष्‍ट हैं और प्रवृत्ति-विश्‍लेषण वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत के प्रमुख संस्‍थानों के सहयोग से वर्ष 2007-2009 के दौरान दिल्‍ली सहित छ: नगरों के लिए पार्टिक्‍यूलेट मैटर (पीएम10) हेतु स्रोत संविभाजन अध्‍ययन (एसएएस) कराया गया था। जहां तक दिल्‍ली का संबंध है, मॉनीटरिंग करने पर पाया गया है कि यहां विभिन्‍न स्‍थानों पर परिवेशी वायु में वाहनों के योगदान की प्रतिशतता 9-20 प्रतिशत के बीच रही है। िल्‍ली ‍

(ग) और (घ) यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्णायक अध्‍ययन उपलबध नहीं है कि पंजाब या हरियाणा में जो सूक्ष्‍म धूलकण अथवा विभिन्‍न गैसीय प्रदूषक लंबे समय तक उत्‍पन्‍न होते रहते हैं, उनका बहाव हमेशा दिल्‍ली की ओर ही रहता है। पंजाब और हरियाणा सहित भारत-गांगेय मैदानों के विभिन्‍न राज्‍यों में कृषकों द्वारा फसल अवशेषों को जलाने की परम्‍परा रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्‍ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, पंजाब राज्‍य में धान की फसल के अवशेषों को जलाने में भारी कमी आने की सूचना मिली है। 15 अक्‍टूबर से 15 नवम्‍बर, 2015 के दौरान फसल-अवशेषों को जलाने की 7553 घटनाओं की सूचना है जबकि वर्ष 2014 में इसी अवधि के दौरान ऐसी 12368 घटनाएं हुई थी। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में फसल अवशेषों को जलाने में कमी आई है।

**\*\*\*\*\*\*\***